ग्राम पंचायत शमशी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शमशी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कृष्ण सैन	1.4.14 से 21.1.16
2	श्री राकेश कुमार	22.1.16 से अद्यतन

(ii) सचिवः–

1	श्रीमती अनिता देवी	1.4.14 से 21.6.16
2	श्रीमती उर्मिला देवी	22.6.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत शमशी के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना	–
2	9	गृहकर की वसूली शेष	0.25
3	10	अनुदान का उपयोग न करना	21.61
4	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	3.39

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत शमशी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.9.17 (A.N.) से 13.9.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 1/15, 2/16 व 12/16 तथा 11/14, 10/15 व 12/16 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत शमशी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-101 दिनांक 13. 9.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शमशी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत शमशी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत शमशी द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों के अनुसार **(परिशिष्ट–1 A, B)** निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	817548.05	991545	32864	1841957.05	1239425.40	602531.65
2015–16	602531.65	2215181	32915	2850627.65	975201.98	1875425.67
2016–17	1875425.67	2412556	94029	4382010.67	1535040.93	2846969.74

4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत शमशी की रोकड़ बहियों की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम–7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होंने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैक खातों में जमा राशियों से मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बही में प्राप्त आय ₹210 कम दर्ज करने बारेः–

पंचायत की मुख्य रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार प्राप्त कुल आय में से ₹210 रोकड़ बही में कम दर्ज किए गए है। अतः कम जमा राशि की वसूली करके रोकड़ बही में दर्ज करके व बैंक में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	रसीद सं0	कुल प्राप्त आय (₹)	रोकड़ बही में दर्ज राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	90/9.2.16	98601 से 98665	3690	3640	50
2	–यथोपरि–	98101 से 98119	1025	1015	10

3	91/13.2.16	97701 से 97727	3325	3175	150
				कुल	**₹210**

4.3 दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा शेष राशि व अनुदानों की शेष राशियों में ₹6.86 लाख के अन्तर बारेः–

ग्राम पंचायत शमशी के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.17 को जमा शेष राशियों व 31.3.17 को विभिन्न अनुदानों की शेष राशियों की जाँच करने पर ₹685736 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशि किस–2 मद (Head) की है कि जाँच व गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31.3.17 को बैंकों में शेष राशियाँ	₹2846969
31.3.17 को अनुदानों की शेष राशियाँ **(परिशिष्ट–4)**	₹2161233
अन्तर	₹685736

5 प्राप्त आय ₹3850 को बैंक में जमा किए बिना व्यय का भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के अनुसार पंचायत की समस्त आय को बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 50 दिनांक 21.1.15 तथा रसीद बुकों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रसीद संख्या 98410 से 98413 तक ₹375 व रसीद संख्या 98260 से 98268 तक ₹3580 की आय प्राप्त की तथा उक्त आय को बैंक में जमा न करवाकर ग्राम सभा जलपान व्यय ₹2450 व स्टेशनरी क्रय ₹1400 का भुगतान प्राप्त आय से नकद किया गया था, जोकि नियम 4 (2) के अनुसार अनुचित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त व्यय के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में प्राप्त आय को नियमानुसार ही बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत शमशी द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार ग्राम पंचायत शमशी के अवधि 4/14 से 3/17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (A to C)** में दिया गया है।

7 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
1	10.9.14	1910
2	11.9.14 से 14.9.14	2130
3	15.9.14 से 18.9.14	2230
4	19.9.14	2804
5	17.3.15	1724
6	19.3.15	1716
7	8.2.16	4936
8	10.2.16 से 11.2.16	14666
9	12.2.16	17650
10	13.2.16 से 15.2.16	20825
11	16.2.16 से 24.2.16	22515
12	26.3.16 से 30.3.16	3150

8 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बजट प्राक्क्लन नियमानुसार फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.25 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की गृहकर से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के गृहकर राजस्व ₹24533 की वसूली शेष थी **(परिशिष्ट–3)**

(i) गृहकर

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष**
2014–15	20631	16740	37371	22268	15103
2015–16	15103	17915	33018	26400	6618
2016–17	6618	17915	24533	–	24533

अतः उपरोक्त गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर पूर्ण न करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.2017 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को प्रत्येक परिवार की बकाया राशि की गणना करके व राशि को दर्ज करके दिनांक 31.3.2017 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में निर्मित/ स्थापित (2 नं0) मोबाईल टावर का मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। अतः मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए तथा दिनांक 31. 3.17 तक वसूली हेतु शेष राशि की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अनुदान ₹21.61 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–4)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹2161233 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Stationary Stock Register-F-26
2	T.A. Check Register F-20
3	Work Register
4	Cheque issue/Receipt Register
5	Bill Register F-13
6	Temporary Advance Register

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित करना इत्यादि प्रावधित है। व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹339184 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचाकिताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है। जोंकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्रक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	माह	कार्य का नाम	माह में व्यय राशि (₹)
1	13^{th} FC	11/14	निर्माण नाली व रास्ता धर्मदास के घर से राजेश जोशी के घर तक	47470
2	13^{th} FC	10/15	निर्माण पक्का रास्ता गौरी शंकर के घर से बुंदवती के घर तक	51123

14 क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः निम्नववरणानुसार क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय वस्तु को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	वस्तु	राशि (₹)
1	Own Nidhi	36/6.11.14	577/3.11.14	M/S Parmar Printers Shamshi	Stationery	2150
2	SDP	43/11/14	68/Nil	M/S Naresh Kumar Mohal	Sand Aggregate	36696

3	Own Nidhi	43/11/14	8860/12.1.14	M/S Parvati Printing Press, Bhunter	Stationery	630
4	SDP	78/4/15	1551/3.9.15	M/S Shyam Ply and Hardware, Store Raisen	Const. Material	14636
5	13th FC	80/10/15	370/9.10.15	M/S MM Engineer Construction Works Kullu	Aggregate Sand	51123
6	MGNREGA	-	CHS 29091/12.9.15	M/S H.P. Civil Supply Corporation	Cement	6450
7	do	-	CHS 29085/12.9.15	-do-	Cement	5160
8	MGNREGA	-	CHS-29086	M/S HP Civil Supply Corporation	Cement	5160
9	do	-	CHS-29087	-do-	Cement	5160
10	do	-	CHS-29088	-do-	Cement	5160
11	do	-	CHS-29089	-do-	Cement	5160
12	do	-	CHS-29090	-do-	Cement	6450
13	Own Nidhi	122/12/16	9492/7.11.16	M/S Delite Stationer"s Bhunter	Stationery	2470
14	do	122/12/16	649/3.8.16	M/S H.R. Enterprises Bhunter	Stationery	4600

15 सिलाई अध्यापिका को उपस्थिति विवरणी को सत्यापित किए बिना ₹4600 के भुगतानः—

अंकेक्षण अवधि के वाउचर संख्या 53 माह 12/2016 की जाँच में पाया गया कि सिलाई अध्यापिका को अवधि 1.10.16 से 30.11.16 तक का मानदेय ₹4600 का भुगतान किया गया है परन्तु अध्यापिका की उक्त अवधि की उपस्थिति विवरणी को पंचायत के किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपस्थिति विवरणी को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

16 सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना पशु सहायक को ₹14000 के भुगतान बारेः—

वाउचर संख्या 56, माह 12/2016 की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा पशु सहायक को अवधि 1.8.16 से 30.9.16 तक का मानदेय ₹14000 का भुगतान किया गया था, परन्तु वाउचर के साथ उक्त अवधि की सत्यापित उपस्थिति विवरणी संलग्न नहीं थी। अतः सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना किया गया भुगतान अनियमित व आपत्तिजनक है जिसका कारण स्पष्ट करते हुए पशु सहायक की उक्त अवधि की उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके व सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः–** पंचायत के लेखों व स्टॉक रजिस्टरों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 17/2017–खण्ड–1–688–691 दिनाँक 24.01.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत शमशी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046